



Value through values

SANGAM (INDIA) LIMITED

CIN : L17118 RJ 1984 PLC 003173

Regd. Off. : P.B. No. 90, Atun, Chittorgarh Road, Bhilwara - 311001 (Raj.)

Phone : + 91-1482-305000, 305028, Fax : + 91-1482-304120

E-mail: secretarial@sangamgroup.com, Website: www.sangamgroup.com

Ref: SIL/SEC/2018

Date: 17th September, 2018

<p>The Manager Department of Corporate Services The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra (E) <u>Mumbai - 400051</u> Scrip Code: 5251</p>	<p>The Manager, Department of Corporate Services, Bombay Stock Exchange Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalal Street, <u>MUMBAI - 400 001</u> Scrip Code: 514234</p>
---	---

Ref: **Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Sub: **Submission of Notice published in the Newspapers.**

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the Newspaper advertisement regarding Notice of 32nd Annual General Meeting published in "Rajasthan Patrika" (Hindi) and "Business Standard" (English).

Hope you will find the same in order and take the same on record.

Thanking you.

Yours faithfully
For Sangam (India) Limited


(Anil Jain)

CFO & Company Secretary
FCS - 3147



लापता महिला का शव कुएं में मिला

गुलाबपुरा में पंखे से झूलकर युवक ने जान दी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

शाहपुरा. कसबे से बुधवार रात से लापता महिला का शव गुरुवार को कुएं में मिला। पुलिस ने शव



पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों ने बताया की क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही हैं। इससे लोगों में भय व्याप्त है।

कोरो ने मकान पर लगे लोहे की छिड़की को तोड़कर अंदर प्रवेश किया। कमरे में रखे बक्से का ताला तोड़ उसमें रखे 35 हजार 500 रुपये चुरा लिए। चोरों ने मकान के अन्य कमरों के दरवाजों को बाहर से रस्सी से बांध दिया। सुबह घटना की जानकारी होने पर कोटड़ी थाना

नाख का लावारिस

शे का गल्ला मल

पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों ने बताया की क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही हैं। इससे लोगों में भय व्याप्त है।

किसानों को 15 तक मिलेगा ऋण

भीलवाड़ा @ पत्रिका. सहकारिता विभाग ने अन्य आदेश के किसानों को बड़ी राहत दी। ग्रामीण ऋण वितरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 15 सितम्बर कर दी है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार विशाल राजन का कहना है कि राज्य में किसानों के देरी से सक्रिय होने तथा कतिपय अन्य कारणों से ग्रामीणों की बुआई प्रभावित हो रही है। सरकार ने किसानों की इस मुश्किल को महसूस किया। अब ग्रामीण ऋण वितरण को 15 सितम्बर तक कर किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
आम सूचना दिनांक 06/09/2018

कर्म/समर्पण/2018/720

रजिस्ट्रार विशाल श्यामसुंदर समरानी नि. 35 धारदण्ड तालावाड़ी भीलवाड़ा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि जितने प्रारूप मास्टर प्लान में आवासीय भू-उपयोग दर्शा रखा है, का गैर कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिवृत्ति अधिकारी के निर्णय के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

जिते सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
भीलवाड़ा	पालड़ी	1992/7	0-01-04 बीघा

इसलिए, इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्वान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्वान अधिवृत्ति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्णक प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिवृत्ति अधिकारों के निर्माण पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अपवादस्वरूपता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त निवृत्त समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे इस्तेफार और मुहर के अधीन आज 06/9/18 को जारी की गई।

प्रतिष्ठित अधिकारी, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
आम सूचना दिनांक 06/09/2018

कर्म/समर्पण/2018/718

रजिस्ट्रार विशाल श्यामसुंदर समरानी नि. 35 धारदण्ड तालावाड़ी भीलवाड़ा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि जितने प्रारूप मास्टर प्लान में आवासीय भू-उपयोग दर्शा रखा है, का गैर कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिवृत्ति अधिकारी के निर्णय के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

जिते सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
भीलवाड़ा	केवड़ा	1992/6	0-01-04 बीघा

इसलिए, इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्वान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्वान अधिवृत्ति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्णक प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिवृत्ति अधिकारों के निर्माण पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अपवादस्वरूपता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त निवृत्त समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे इस्तेफार और मुहर के अधीन आज 06/9/18 को जारी की गई।

प्रतिष्ठित अधिकारी, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
आम सूचना दिनांक 05/09/2018

कर्म/समर्पण/2018/716

रजिस्ट्रार विशाल श्यामसुंदर समरानी नि. 35 धारदण्ड तालावाड़ी भीलवाड़ा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि जितने प्रारूप मास्टर प्लान में आवासीय भू-उपयोग दर्शा रखा है, का गैर कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिवृत्ति अधिकारी के निर्णय के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

जिते सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
भीलवाड़ा	पासल	2703/2	1-17 बीघा

इसलिए, इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्वान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्वान अधिवृत्ति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्णक प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिवृत्ति अधिकारों के निर्माण पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अपवादस्वरूपता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त निवृत्त समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे इस्तेफार और मुहर के अधीन आज 05/9/18 को जारी की गई।

प्रतिष्ठित अधिकारी, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

न कर्मचारी चयन बोर्ड
अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड)
राजस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर- 302018
rajasthan.gov.in दूरभाष नं. 0141-2722520

कनि.सहा.सं.सू.प.प./2018/601 दिनांक-06.09.2018

विज्ञप्ति

1970, राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिफिक वर्गों एवं अधीनस्थ) नियम तथा विनियम नियम-1999 के अन्तर्गत क्रमशः शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ विभागों/ कार्यालयों के लिए लिफिक ग्रेड-II/ कनिष्ठ सहायक के पदों पर पत्तों हेतु 2018 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक: 1422 दिनांक: 20.04.2018 व क्रमांक 2858 मंत्रित किए गए थे।

SANGAM (INDIA) LIMITED
CIN-L1711SRJ1984PLC003173
Regd. Off.: Atun, Chittorgarh Road, Bhilwara-311001 (Raj.) Ph:+91 1482 305028/305000 Fax: +91 1482 304120
Email- secretarial@sangamgroup.com
Website- www.sangamgroup.com

NOTICE OF THE 32ND ANNUAL GENERAL MEETING INTIMATION OF E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of members of the Company will be held on Saturday, the 29th September, 2018 at 3.30 p.m. at "Sangam House" Atun, Chittorgarh Road, Bhilwara-311001 (Raj.) to transact the businesses as set out in the Notice of AGM.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made there under and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 22nd September, 2018 to Saturday, the 29th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and determination of payment of dividend, if approved at the said AGM.

It is informed that the physical dispatch of Notice of AGM and Annual Report for F.Y. 2017-18 in the permitted mode to members whose small IDs are not registered with Company or Depository Participant(s) have been completed on September 4th, 2018 and in case of members whose email IDs are registered, the electronic transmission of Notice of AGM and Annual Report for FY 2017-18 have been completed on September, 5th 2018. A copy of Notice and Annual Report is also available on the Company's website at www.sangamgroup.com

Pursuant to the Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Act read with relevant rules of the Act, the Company is pleased to provide to its members the facility to exercise their right to vote by electronic means through e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at <http://www.evotingindia.com>. Members of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date being 22nd September, 2018, may cast their vote electronically.

CS Manoj Maheshwari, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The e-voting window will open at 9.00 a.m. IST on Tuesday, 25th September, 2018 and close at 05.00 p.m. IST on Friday, 28th September, 2018. The e-voting module will be disabled by GDSL for voting thereafter. Any query/grievance connected with voting by electronic means should be addressed to the Company Secretary at secretarial@sangamgroup.com.

By order of the board For Sangam (India) Limited
Sd/-
(Anil Jain)
CFO & Company Secretary

Place: Bhilwara
Date: 06.09.2018

Dr. Juneja's®

पेट साफ

Divisa